न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 183/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00262

प्रार्थीगणः–

1. कानसिंह पुत्र वनेसिंह जाति राजपुत निवासी रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन
2. तेजाराम पुत्र कुपाराम जाति मेघवाल निवासी हेमालिया वास कला तहसील मारवाड जंक्शन
3. मांगीलाल पुत्र ओखाराम जाति मेघवाल निवासी रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन
4. जितेन्द्रसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपुत निवासी रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रामा उर्फ रामलाल पुत्र दलाजी जाति कुम्हार निवासी नरसिहपुरा तहसील मारवाड जंक्शन
2. सोहनलाल पुत्र दलाराम जाति चौधरी निवासी नरसिहपुरा तहसील मारवाड जंक्शन
3. सरपंच ग्राम पंचायत हेमालियावास खुर्द तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल गेहलोत।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पिताराम परिहार।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.5.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द द्वारा मिसल संख्या 11/19.05.1980 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने क सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई मिसल कायम की गई और न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जैर निगरानी पट्टा कुटरचित तरीके से तैयार किया गया है जिसके विरूद्ध पुलिस थाना में कार्यवाही विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जैर निगरानी पट्टे की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दी। जैर निगरानी पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर खसरा नम्बर 124 गै.मु.गोचर की भूमि में जारी किया गया है जिसका क्षेत्रफल 5600 वर्गफीट है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पुराने कब्जे का कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के उपरान्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

भी ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो विधि विरूद्ध, फर्जी तथा कुटरचित होने से काबिल निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत लिखित बहस तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टा गै.मु.गोचर भूमि में नहीं होकर पुरानी आबादी भूमि है। अप्रार्थी द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत से गांव की पुरानी घनी बसी आबादी भूमि में पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया था तथा उसी भूमि में पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 22.09.2017 को खरीद किया जिस पर निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.10.2021 को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। प्रार्थीगण ने लगभग 41 वर्ष बाद निगरानी पेश की है साथ जैर निगरानी में प्रार्थीगण हितबद्ध व्यक्ति नहीं है तथा उन्हे निगरानी पेश करने का अधिकार नहीं है। जो परिपोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द द्वारा मिसल संख्या 11/19.05.1980 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के नियम 266 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 रामा पुत्र दलाजी के पक्ष में जारी किया गया था जिसके लिये पट्टाधारक द्वारा 70/– रूपये जरिये रसीद संख्या 13 दिनांक 17.11.1980 को जमा करवाये गये थे। वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह उज्र उठाया कि "हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा गोचर भूमि में जारी नही होकर आबादी भूमि में जारी किया गया है, तथा खसरा संख्या 124 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा गोचर से पृथक कर आबादी हेतु ग्राम पंचायत को आरक्षित की है। अतः पट्टा गोचर भूमि में न होकर आबादी भूमि में जारी किया गया है।" प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की है कि उक्त भूमि गोचर है या आबादी ? और न ही अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा तथाकथित आबादी का कोई नक्शा प्रस्तुत किया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी में है अथवा नहीं।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेश दिनांक 07.01.2004 के द्वारा ग्राम नरसिंहपुरा तहसील मारवाड जंक्शन में स्थित खसरा नम्बर 124 रकबा 1.4122 हैक्टेयर भूमि को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गयी थी तथा ग्राम नरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार भी खसरा नम्बर 124 गै.मु.आबादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी को वर्ष 1980 में जैर निगरानी पट्टा जारी हुआ जबकि खसरा नम्बर 124 की आराजी वर्ष 2004 में आबादी विस्तार हेतु आरक्षित हुयी थी। यदि आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित ही वर्ष 2004 में होती है तो वर्ष 1980 में जैर निगरानी पट्टा कैसे जारी हो सकता है ? इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा गै.मु.गोचर में जारी किया गया था जो विधि सम्मत नहीं होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द की रिपोर्ट दिनांक 19.02.2021 में स्पष्ट अंकित है कि "उक्त जमीन मौजा नरसिंहपुरा तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 124 रकबा 1.4122 हैक्टर किस्म गै.मु.गोचर भूमि में आई हुई स्थित है तथा उक्त गोचर भूमि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, पाली द्वारा दिनांक 07.01.2004 को आबादी हेतु आरक्षित की गई है। अतः गोचर भूमि दिनांक 07.01.2004 को आबादी हेतु आरक्षित की गई है तो अप्रार्थी के पास पट्टा होना नियमानुसार सही नहीं है।" जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने द्वारा दूषित प्रक्रिया अपनाते हुए अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से कायम रखने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 को मिसल संख्या 11/19.05.1980 की पालना में वर्ष 1980 में जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 124 गै.मु. गोचर में जारी किया गया था। चुकि वर्ष 2004 में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, पाली द्वारा ग्राम नरसिंहपुरा के खसरा नम्बर 124 रकबा 1.4122 हैक्टेयर भूमि को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किया था तो वर्ष 1980 में जैर निगरानी पट्टा कैसे जारी हो सकता है ? साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी भी ऐसे कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी को जारी जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1980 में आबादी क्षेत्र में हो। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्ध होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द द्वारा मिसल संख्या 11/19.05.1980 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 रामा उर्फ रामलाल पुत्र दलाजी_के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली